



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, 2224529 फैक्स नं०- 2224529

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-5/2016

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 12-2-2016 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 15-2-2016 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय: 17-2-2016 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 19-2-2016 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

| क्र.सं. | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में) | अग्रघन की राशि ₹ में | परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में | निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में | निविदा कार्य समाप्ति की अवधि |
|---------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोवहा थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0, 6-एल0एस0 आवास एवं पहुँच पथ का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 313.37 | 62800 | 10000 | 17175 | 12 माह |
| 2. | मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुसहरी थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 310.37 | 620800 | 10000 | 17175 | 12 माह |
| 3. | मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मिठनपुरा थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 410.00 | 820000 | 10000 | 17175 | 12 माह |
| 4. | बैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 281.16 | 562400 | 10000 | 5725 | 12 माह |
| 5. | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत जितना थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0 एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 316.37 | 632800 | 10000 | 17175 | 12 माह |
| 6. | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत घोड़ासहन थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0 एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 316.37 | 632800 | 10000 | 17175 | 12 माह |
| 7. | कैमूर जिलान्तर्गत सोनहन थाना परिसर में ग्रेड-III थाना, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 285.00 | 570000 | 10000 | 5725 | 12 माह |
| 8. | कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर थाना परिसर में 4-यू0 एस0, 6-एल0एस0 आवास एवं पहुँच पथ का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 124.71 | 249500 | 10000 | 5725 | 12 माह |
| 9. | पटना जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-5 कैम्पस में 100 सिपाहीयों के बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण | 129.00 | 258000 | 10000 | 5725 | 12 माह |
| 10. | पटना जिलान्तर्गत दीघा थाना परिसर में चहारदिवारी एवं पहुँच पथ का निर्माण कार्य | 54.51 | 109100 | 10000 | 1145 | 4 माह |
| 11. | पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग थाना में SC/ST थाना भवन, 8 लोअर सबोर्डिनेट आवास एवं 6 अपर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 379.45 | 758900 | 10000 | 17175 | 12 माह |
| 12. | नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास , पहुँच पथ एवं चहारदिवारी का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य | 250.62 | 501300 | 10000 | 5725 | 12माह |

8. 10 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोस्थापना के कार्यालय के वेबसाईट www.bpbcc.co.in / वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-12-2-2016 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।

9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्राक्धानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 14.50 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, ईटेंडर के कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

शेष परिमाण विपत्र का मूल्य शेषयूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतये दिनांक- 15-2-2016 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायगा।

अग्रघन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 17-2-2016 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। ईनिविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रघन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 18-2-2016 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा।

10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आर्बिडित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना आवश्यक होगा।

11. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांटेक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा सब कांटेक्टर का शपथ-पत्र संलग्न करना एवं वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रघन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।

13. सभी गैर-अनुसूचित वर्गों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में वित्तीय वीड अमान्य मानी जायेगी।

14. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।

15. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिबार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आर्बिडन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आर्बिडन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों।

16. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रघन की राशि देय होगी। समुचित अग्रघन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रघन की राशि छः/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।

नोट :- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

हो/- मुख्य अभियंता, पटना।